



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 05 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 95 हजार रुपये नकद व 01 स्कोर्पियो गाडी एवं 01 मैजिक बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.03.2023 को वादी श्री घुलीराम पुत्र स्व० पीरथी सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा कदीम निकट डेरा बन्दी नवाज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने थाना कोतवाली देहात पर आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 19.03.2023 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा उसके घर से 25 भेड चोरी कर ली है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०स० 90/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर तथा पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये घटना के तत्काल अनवारण हेतु निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में दौराने चेकिंग क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में व प्र०नि० मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27-03-2023 की रात्रि को उक्त चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 05 अभियुक्तगणों को टपरी में शराब फेक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 95 हजार रुपये नकद, 01 स्कोर्पियो गाडी व 01 छोटा हाथी (मैजिक) बरामद हुआ है। 02 अभि०गण मौके से फरार हो गये है। अभि०गणों द्वारा थाना गंगोह क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 17/18.01.2023 की रात्रि में यमुनानदी के किनारे ग्राम कल्हरहेड़ी से 20 भेड़ व बकरी चोरी की घटना तथा थाना झिंझाना जनपद शामली अन्तर्गत दिनांक 14/15.02.2023 की रात्रि में ग्राम नाई नगला नवीन चौसाना के पास से 07 बकरी चोरी की घटना का इकबाल किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०स० 18/2023 धारा 379 भादवि तथा थाना झिंझाना जनपद शामली पर मु०अ०स० 59/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### पूछताछ का विवरण:-

अभि०गण सामूहिक रूप से पशु चोरी विशेष रूप से भेड़, बकरी व सूअर चोरी का अपराध कारित करते हैं। अभियुक्त कर्मवीर लुथियाना पंजाब का रहने वाला है। अभियुक्त कर्मवीर का रिश्तेदार मोहित जो सहारनपुर का रहने वाला है, वर्ष-2020 में सुवर चोरी में अभियुक्त चंदन व राजीव के साथ जेल गया था। मोहित ने ही अभियुक्त राजीव व चंदन की मुलाकात अपने रिश्तेदार कर्मवीर से करायी थी तभी से ये लोग आपस में मिलकर पशु चोरी कर अपराध कारित कर रहे हैं। कर्मवीर पंजाब से पशु चुराकर राजीव व चंदन के माध्यम से सहारनपुर में बेच देता है तथा राजीव व चंदन सहारनपुर से पशु चुराकर कर्मवीर माध्यम से पंजाब में बेच देते हैं। यही इनका अपराध करने का तरीका है।

## अपराध क्यों किया गया –

अभियुक्त कर्मवीर द्वारा फाईनेंस पर स्कोर्पियो गाड़ी खरीदी गयी थी, जिसकी किस्ते टूट चुकी थी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण व किस्ते जमा करने हेतु लालच वश अपराध किया गया। अन्य अभियुक्तों की भी माली हालत ठीक नहीं है। शोएब द्वारा भी लालच वश अपराध किया गया। अभिगण वर्ष 2020 से अपराध कारित कर रहे हैं।

## अपराधियों की शैक्षिक योग्यता:-

1. अभियुक्त राजीव 12वीं पास है।
2. अभियुक्त चंदन 9वीं पास है।
3. शेष अभियुक्त अनपढ़ है।

## फैमली बैकग्राउण्ड:-

अभियुक्त राजीव, चंदन, कर्मवीर, बाबा व काला बालमिकी जाति से हैं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है साफ सफाई आदि का कार्य करते हैं। अभियुक्त कर्मवीर टैक्सी चलाता है। अभियुक्त शोएब कुरैशी जाति से है जिसके भाई की करनाल में मीट की दुकान है तथा अभियुक्त राजवीर की अपनी मैजिक गाड़ी है जो कश्यप जाति से है तथा गाड़ी से पशु लाने व ले जाने का काम करता है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. कर्मवीर पुत्र महिपाल नि० मौ० प्रबातनगर गली न०-02 ढौलेबाल थाना डिविजन न०-06 लुधियाना पंजाब
2. चन्दन उर्फ काला पुत्र राजकुमार नि० भलस्वा हसनपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. राजीव उर्फ रिकू पुत्र स्व० आंचल नि० मौ० चन्दननगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
4. शोएब पुत्र नईम कुरैशी नि० ग्राम बुडढा खेडा थाना सेक्टर-32 करनाल हरियाणा
5. राजवीर पुत्र नामूराम कश्यप नि० ग्राम मंगलपुर थाना सेक्टर-32 करनाल हरियाणा

## बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक स्कोर्पियो गाड़ी बिना नम्बर, सफेद रंग
- 2- एक छोटा हाथी (मैजिक) न० HR45-B1483
- 3- 95000/- रुपये नकद (भेड़ बेचने के)

## अभियुक्त कर्मवीर का आपराधित इतिहास:-

- 1- मु०अ०स० 57/22 धारा 307/414/420/34 भादवि थाना को०नगर जनपद मुजफ्फरनगर
- 2- मु०अ०स० 58/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को०नगर जनपद मुजफ्फरनगर
- 3- मु०अ०स० 300/21 धारा 398/401/420/465 भादवि थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
- 4- मु०अ०स० 59/23 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 5- मु०अ०स० 18/23 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 6- मु०अ०स० 90/23 धारा 379/411 थाना को०देहात सहारनपुर

## अभि० चन्दन उर्फ काला का आपराधित इतिहास:-

- 1- मु०अ०स० 47/20 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- 2- मु०अ०स० 59/23 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 3- मु०अ०स० 18/23 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 4- मु०अ०स० 90/23 धारा 379/411 थाना को०देहात सहारनपुर

**अभि० राजीव उर्फ रिकू का आपराधित इतिहास:-**

- 1- मु०अ०सं० 47/20 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- 2- मु०अ०सं० 59/23 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 3- मु०अ०सं० 18/23 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 4- मु०अ०सं० 90/23 धारा 379/411 थाना को०देहात सहारनपुर

**अभियुक्त शोएब उपरोक्त का आपराधित इतिहास:-**

- 1- मु०अ०सं० 59/23 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 2- मु०अ०सं० 18/23 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 3- मु०अ०सं० 90/23 धारा 379/411 थाना को०देहात सहारनपुर

**अभियुक्त राजवीर उपरोक्त का आपराधित इतिहास:-**

- 1- मु०अ०सं० 59/23 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली
- 2- मु०अ०सं० 18/23 धारा 379 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 3- मु०अ०सं० 90/23 धारा 379/411 थाना को०देहात सहारनपुर



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना गंगोह , सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र राकेश निवासी गांव रादौर छोटा बांस थाना रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा 2.सलामु पुत्र स्व0 गुलाब निवासी गांव इन्द्री गुढा 11 वार्ड थाना इन्द्री जिला करनाल हरियाणा 3.रजत उर्फ काला पुत्र राकेश निवासी गांव रादौर छोटा बांस थाना रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि वह तीनों अपनी निजी जरूरतें पूरी करने के लिए स्मैक के धंधे में लिप्त थे, हरियाणा और सहारनपुर के आस पास के क्षेत्र में स्मैक बेचते थे।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

- 1.अमन पुत्र राकेश निवासी गांव रादौर छोटा बांस थाना रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा
- 2.सलामु पुत्र स्व0 गुलाब निवासी गांव इन्द्री गुढा 11 वार्ड थाना इन्द्री जिला करनाल हरियाणा
- 3.रजत उर्फ काला पुत्र राकेश निवासी गांव रादौर छोटा बांस थाना रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा

#### **बरामदगी का विवरण:-**

70 ग्राम स्मैक बरामद



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में वारंटी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त शाजिद पुत्र आबिद निवासी ग्राम संगमौर थाना चिलकाना सहारनपुर समिधत वाद स0 594/21 मु0अ0स0 316/95 धारा 279/304ए/338/427 भा0द0वि0 चालानी थाना चिलकाना को दिनांक 28.03.2023 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

#### गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता-:

वारंटी अभियुक्त शाजिद पुत्र आबिद निवासी ग्राम संगमौर थाना चिलकाना सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1.उ0नि0 रोहन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 2.का0 2077 मनोज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा ऐसिड अटैक की फर्जी घटना के षडयंत्र में संलिप्त अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर महोदय द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में थाना जनकपुरी सहारनपुर पर फर्जी ऐसिड अटैक की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/23 धारा 384/326ए/195/120बी भा.द.वि. में नामजद दानिश पुत्र वाजिद निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 22 वर्ष को दिनांक 28.03.2023 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दानिश पुत्र वाजिद निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 22 वर्ष

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- ❖ उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी स0पुर।
- ❖ है0का0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर
- ❖ है0का0 354 संजीव, थाना जनकपुरी स0पुर।



दिनांक: 28-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया**  
**गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2023 को बिजेन्द्र कुमार एड0 S/O महेन्द्र सिंह R/O मौ0 हिम्मत नगर PS सदर बाजार सहारनपुर द्वारा थाना बाजार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र सर्वोत्तम के साथ के मारपीट कर अग भंग कर देने आदि के सम्बन्ध में मु0अ0स0 664/22 धारा 323/326/504/506 भादवि बनाम पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में दौराने चेकिंग क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्त शेखु पठान पुत्र शफकत अली निवासी शत्रुघ्न कालोनी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर को दिनांक 28.03.2023 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण.**

अभियुक्त द्वारा बताया कि दिनांक 21-11-22 समय शाम के करीब 6.30 बजे में मुर्गा मार्किट कोर्ट रोड सहारनपुर में बैरल रस्टोरेंट में खाना खाने गया था बैरल रस्टोरेंट में खाने को लेकर मेरी बहसा बहसी बैरल रस्टोरेंट में मौजूद दो लडको से हो गयी थी इनका मेरे साथ झगडा हो गया, मारपीट में एक लडके की आँख में चोट लग गयी थी उसकी आँख से खून निकलता देख में वहाँ से भाग गया था।

**अभियुक्त का नाम पता:-**

1. शेखु पठान पुत्र शफकत अली निवासी शत्रुघ्न कालोनी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

1- मु0अ0स0 664/22 धारा 323/326/504/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.03.23 को वारण्टी 1. अजय कुमार पुत्र कल्लू 2. श्यामा सिंह पुत्र प्रकाशचन्द 3. रामलाल पुत्र सुमेरचन्द नि० गण चुनहेटीगाडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सख्या 2606/19 धारा 147/452/323/504/506/427 भा०द०वि० न्यायालय जे०एम० प्रथम व 4. अभियुक्त वादिल पुत्र शहीद निवासी हलगोया थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 2142/20 धारा 138 एनआई एक्ट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते:-

1. अजय कुमार पुत्र कल्लू नि० ग्राम चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. श्याम सिंह पुत्र प्रकाश चन्द नि० उपरोक्त
3. रामलाल पुत्र सुमेरचन्द नि० उपरोक्त
4. वादिल पुत्र शहीद नि० हलगोया थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा जबरदस्ती मकान पर कब्जा करने वाले 03

### शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2023 को वादिया श्रीमति हेमलता पत्नी योगेश गोस्वामी निवासी आ.के.पुरम गली न0 3 थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर द्वारा थाना बाजार पर अभियुक्तगण द्वारा वादिया के मकान का ताला तोडकर जबरदस्ती कब्जा कर लेने तथा वादिया के अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 140/23 धारा 457/452/323/354बी/504 भादवि बनाम बनाम 04 नफर पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में दौराने चेकिंग क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्तगण (1) राजकुमार सैनी पुत्र हुकुमचन्द सैनी निवासी गलीरा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर (2) श्रीमती सुनिता पत्नी राजकुमार सैनी निवासी उपरोक्त (3) रुपचन्द पुत्र बलवन्त निवासी उपरोक्त को दिनांक 28.03.2023 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### पूछताछ का विवरण..

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम सब लोग विवादित सम्पत्ति/भूमि/प्लाट/मकान को कम दामो पर खरीदकर उस पर कब्जा कर लेते है इसी क्रम को हमने इस मकान को कम दामो में खरीदकर कल दिनांक 27/03/23 को ताले तोडकर हम सभी ने घर में घुसकर कब्जा कर लिया था तथा उक्त मकान की दीवार पर मकान के विवाद के सम्बन्ध लिखे लेख को भी मिटा दिया था।

### अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. राजकुमार सैनी पुत्र हुकुमचन्द सैनी निवासी गलीरा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. सुनिता पत्नी राजकुमार सैनी निवासी गलीरा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- 3- रुपचन्द पुत्र बलवन्त प्रदीप विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

1. 02 ताले टूटे हुए मकान के,

### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- 1- राजकुमार सैनी पुत्र हुकुमचन्द सैनी निवासी गलीरा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- 2- श्रीमती सुनिता पत्नी राजकुमार सैनी निवासी गलीरा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
  - मु0अ0स0 140/23 धारा 457/452/323/354बी/504 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 3- रुपचन्द पुत्र बलवन्त प्रदीप विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
  - मु0अ0स0 140/23 धारा 457/452/323/354बी/504 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
  - मु0अ0स0 345/19 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
  - मु0अ0स0 861/18 धारा 452/395/323/504/506/427 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इरफान उर्फ बिल्ला पुत्र लियाकत निवासी ग्राम जुलमगढ़ विश्वासनगर थाना मंडी सहारनपुर संबंधित वाद संख्या 1224/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी कोतवाली देहात सहारनपुर माननीय न्यायालय स्पेशल जज सहारनपुर

### पुलिस पार्टी –

- उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- है0कां0 459 पवन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- कां0 2384 कपिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 28-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

## **थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 वान्छित गौकश अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.02.2023 को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0-57/2023 धारा-3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11(घ) पशु क्रूरता अधि0 के वान्छित अभियुक्त बिल्ला कुरेशी उर्फ परवेज पुत्र भूरा निवासी ग्राम रायपुर कलाँ थाना बेहट जिला सहारनपुर को आज दिनांक 28.03.23 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. बिल्ला कुरेशी उर्फ परवेज पुत्र भूरा निवासी ग्राम रायपुर कलाँ थाना बेहट जिला सहारनपुर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री बनवारी सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

3. का0 1036 अजीत सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त बिल्ला कुरेशी उर्फ परवेज**

1. मु0अ0स0-94/2018 धारा-3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर

2. मु0अ0स0-100/2022 धारा-10यू0पी गुण्डा एक्ट थाना बेहट सहारनपुर

3. मु0अ0स0-250/2016 धारा- 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर

4. मु0अ0स0-251/2016 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर

5. मु0अ0स0-173/2022 धारा-379/411 भादवि थाना 379/411 भादवि बेहट सहारनपुर

6. मु0अ0स0-57/2023 धारा-3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 (1)(डी)पशु क्रूरता एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर



दिनांक: 28-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना बेहट पुलिस द्वारा भैंस चोरी करने वाले 03 वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45,000/- रुपये नकद, 02 छूरे व 01 महिन्द्र पिकअप बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.02.2023 को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0-100/2023 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात का कुशल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त गण 1. फैजान पुत्र खालिक निवासी ग्राम रीढी थाना बेहट 2. नासिर पुत्र रिजवान नि0 ताजपुरा थाना बेहट, 3.आमिर पुत्र शमशाद निवासी ग्राम रीढी थाना बेहट जिला सहारनपुर को दिनांक 28.03.23 को थाना बेहट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी भैंस को बेचकर प्राप्त हुए 45000 रु0 व घटना में प्रयुक्त गाडी महेन्द्रा पीकप नम्बर UP11BT7743 व अभियुक्त फैजान व आमिर से एक-एक अवैध छुरा बरामद हुआ बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 152/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम फैजान व आमिर पंजीकृत किया गया अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त अभि0 फैजान अपने साथियों के साथ मैक्स पिकप में सुनसान जगह या जहाँ से आशानी से पशुओं को गाडी में चढाया जा सके वहाँ से पशु चोरी करता है। अभि0 फैजान वर्ष 2023 में पशु चोरी में जेल गया था। चिलकाना क्षेत्रान्तर्गत से भी अभि0 फैजान ने अपने साथियों के साथ भैंस चोरी की घटना कारित की थी। अभि0 फैजान व आमिर पूर्व में भी पशु चोरी, गौकशी आदि में जेल जा चुके हैं। पैसों के लालच में आकर ये लोग भैंस चोरी की घटना करते हैं।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. फैजान पुत्र खालिक निवासी ग्राम रीढी मोहिद्वीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. नासिर पुत्र रिजवान नि0 ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. आमिर पुत्र शमशाद निवासी ग्राम रीढी मोहिद्वीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी -**

1. मु0अ0स0-100/2023 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी गये भैंस को बेचकर प्राप्त 45000/ रु0
2. अभियुक्त गण फैजान व आमिर के कब्जे से 02 छूरे नाजायज
3. गाडी महेन्द्रा पीकप नम्बर UP11BT7743

#### **आपराधिक इतिहास अभि0 फैजान**

1. मु0अ0स0-361/2012 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट 380 भादवि बेहट स0पुर
2. मु0अ0स0-111/2013 धारा-379/411 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर
3. मु0अ0स0-112/2015 धारा-379/411 भादवि बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0स0-144/2019 धारा-380/411 भादवि बेहट सहारनपुर
5. मु0अ0स0-307/2019 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट बेहट स0पुर
6. मु0अ0स0-380/2019 धारा-3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कुरता एक्ट बेहट सहारनपुर

7.मु0अ0स0-145/2019 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बेहट स0पुर

8.मु0अ0स0-464/2019 धारा-420/465/411 भादवि चिलकाना सहारनपुर

9.मु0अ0स0-10/2023 धारा 379/411 भादवि चिलकाना सहारनपुर

10.मु0अ0स0-100/2023 धारा-457/380/411भादवि थाना बेहट सहारनपुर

**नासिर पुत्र रिजवान नि0 ग्राम ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर**

1.मु0अ0स0-396/2021 धारा 452/323/504/506 भादवि बेहट सहारनपुर

2. मु0अ0स0-100/2023 धारा-457/380/411भादवि थाना बेहट सहारनपुर

**आमिर पुत्र शमशाद निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर**

1.मु0अ0स0-294/2021 धारा-420/467/468/471/414 भादवि थाना को0नगर सहारनपुर

2. मु0अ0स0-501/2021 धारा-379/411 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर

3.मु0अ0स0-152/2021 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

4.मु0अ0स0-295/2021 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर सहारनपुर

5. मु0अ0स0-100/2023 धारा-457/380/411भादवि थाना बेहट सहारनपुर